

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।  
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।  
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी  
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक  
उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 04 मई, 2021

विषय:कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लोकडाउन की अवधि में सेवाओं को ई-पास से छूट प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में राजस्व-11 के शासनादेश संख्या-326/एक-11-2021, दिनांक 03.05.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लोकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु आनलाइन ई-पास जारी करने से सम्बन्धित शासनादेश निर्गत किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निम्न सेवाओं ई-पास से एतद्वारा छूट प्रदान की जाती है:-

1. औद्योगिक गतिविधियां।
2. मेडिकल/आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति व आवश्यक वस्तुओं का परिवहन
3. मेडिकल व स्वास्थ्य तथा औद्योगिक ईकाईयों में उपस्थिति तथा उद्योगों सम्बन्धी कार्यों
4. ई-कामर्स आपरेशन्स।
5. आपात चिकित्सास्थिति(Medical Emergency) वाले व्यक्ति।
6. दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति भवदीय,




(अवनीश कुमार अवस्थी )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, / प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री।
2. मुख्य स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(बी0डी0 पॉलसन)  
सचिव।